

कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म.प्र.)

E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

Phone No. (07423) 226605

क्रमांक/तकनीकी/2026/1526
प्रति,

नीमच, दिनांक- 16/3/26

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
नीमच (म.प्र.)

विषय:- नीमच जिले के अंतर्गत कालिया खो जलाशय, नया मालाहेडा तालाब योजना प्रकरणों के संबंध में।
संदर्भ:- 01. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तकनीकी/2025/3408 दिनांक 09.06.2025
02. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तकनीकी/2025/6189 दिनांक 17.11.2025

विषयांतर्गत लेख हैं, कि वनमण्डल नीमच अंतर्गत वनसंरक्षण अधिनियम 1990 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के निम्न प्रकरणों में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण की सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई हैं। प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि, नेट प्रजेण्ट वेल्यु की राशि एवं कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की राशि कैम्पा मद में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की जाना हैं। जिसका प्रकरणवार विवरण निम्नानुसार हैं।

S.N.	Proposal No.	Project Name	Proponent	Area	Status
1	FP/MP/IRRIG/ 123146/2021	Kaliya Kho Tank Project	WRD MP (कार्यपालन यंत्री ,जलसंसाधन संभाग नीमच)	22.26	प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 10-03-2025 की शर्तों के पालन में नेट प्रजेण्ट वेल्यु की राशि रुपये 2,13,20,183/-, वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 2,17,18,652/- एवं कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की राशि रुपये 24,20,000 कुल राशि रुपये 4,54,58,835/- जमा करने हेतु आवेदक संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र. 3408 दिनांक 09-06-2025 से लेख किया गया हैं।
2	FP/MP/HYD/IR RIG/ 458450/2024	naya malaheda project.		9.89	प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 22-10-2025 की शर्तों के पालन में नेट प्रजेण्ट वेल्यु की राशि रुपये 94,72,444/-, वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 1,40,22,191/- एवं कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की राशि रुपये 22,20,000 कुल राशि रुपये 2,57,17,635/- जमा करने हेतु आवेदक संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र. 6189 दिनांक 17-11-2025 से लेख किया गया हैं।

उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में परिवेश पोर्टल पर आवेदक संस्था स्तर पर लंबित हैं। कृपया उपरोक्त समस्त प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि, नेट प्रजेण्ट वेल्यु की राशि एवं कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की राशि कैम्पा मद में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा करवाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी करने हेतु नोडल अधिकारी भोपाल को प्रेषित किये जा सके। इस बाबत पूर्व में भी कार्यालयीन संदर्भित पत्रों से आपको लेख किया गया हैं।

(एस.के.अटौद)

I.F.S.

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल नीमच

नीमच, दिनांक :- 16/3/26

पृष्ठां. क्रमांक/तकनीकी/2026/1527
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर जिला नीमच की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में भेजकर अनुरोध हैं, कि कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन, संभाग नीमच को आपके स्तर से प्रकरण में नेट प्रजेण्ट वेल्यु की राशि, वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की राशि कैम्पा मद में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल नीमच